

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल(म.प्र.)

कार्य विभाजन पत्रक 2024

// विविध आदेश //

क्रमांक / 63 / एक-11-1 / 2009

बैतूल, दिनांक 08 / 04 / 2024

प्रशासनिक कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से मैं प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल, पूर्व में जारी किये गये कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2023 से संबंधित समस्त आदेशों को अधिष्ठित करते हुये, व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 10(3), 194, 381(2) एवं 400 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये इस न्यायिक जिला एवं सत्र खण्ड बैतूल स्थित व्यवहार एवं सत्र न्यायालयों के लिये न्यायिक कार्य का संपादन करने हेतु वर्ष 2024 के लिए निम्नानुसार कार्य विभाजन आदेश जारी करता हूँ जो दिनांक 10 / 04 / 2024 से प्रभावशील होगा तथा अन्य आदेश तक प्रभावशील रहेगा :-

खण्ड -अ

जिला एवं अपर जिला न्यायालयों का क्षेत्राधिकार

अनु. क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार व प्रकरणों का प्रकार
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बैतूल (म0प्र0) (श्री प्राणेश कुमार प्राण)	<ol style="list-style-type: none"> 1- सिविल जिला बैतूल (मुलताई, आमला, भैंसदेही एवं आठनेर तहसील को छोड़कर) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड तथा न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बैतूल की न्यायालयों से उद्भूत नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलें। 2- तहसील बैतूल एवं शाहपुर स्थित नगरपालिका / नगरपंचायत से उत्पन्न चुनाव याचिकाएं। 3- आरक्षी केन्द्र कोतवाली बैतूल एवं चोपना क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत धारा 163 एवं 166 मोटर यान दुर्घटना दावा प्रकरण। 4- सिविल जिला बैतूल के अंतर्गत अन्य सभी प्रकार के मामले जो अनन्यतः जिला एवं सत्र न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार में हैं तथा जिनकी सुनवाई के लिये पृथक से किसी न्यायाधीश/न्यायालय को विशिष्ट शक्तियां वेष्टित न की गई हो अथवा विशेष न्यायाधीश/ विशेष न्यायालय अधिसूचित न किया गया हो। 5- इस जिला एवं सत्र न्यायालय तथा दावा अधिकरण द्वारा पारित निर्णय आदेश से संबंधित निष्पादन एवं विविध प्रकरण व अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन। 6- मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9,14,34 एवं 36 सहपठित आदेश 21 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रस्तुत होने वाले निष्पादन प्रकरण राजस्व जिला बैतूल (तहसील मुलताई, भैंसदेही, आठनेर एवं आमला को छोड़कर) के स्थानीय क्षेत्राधिकार से उत्पन्न प्रकरण। 7- सत्र खण्ड बैतूल के अंतर्गत सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण याचिकायें (जिनमें ग्राम न्यायालय बैतूल एवं मुलताई भी सम्मिलित हैं) 8- सत्र खण्ड बैतूल (मुलताई एवं भैंसदेही के क्षेत्राधिकार के थानों से उद्भूत जमानत आवेदन को छोड़कर) से उद्भूत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 एवं 439 से संबंधित जमानत आवेदन पत्र। 9- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली अपीलें। 10- विशेष न्यायालय सती निवारण अधिनियम 1987 के अंतर्गत प्रकरण। 11- विशेष न्यायालय म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण।

अनु. क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार व प्रकरणों का प्रकार
		<p>12- भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण।</p> <p>13- विशेष न्यायालय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रकरण।</p> <p>14- उन समस्त अधिनियमों से संबंधित सिविल प्रकृति के जिला न्यायाधीश के विचारण क्षेत्राधिकार के प्रकरण जो अन्य को आवंटित न किये गये हों।</p>
2	पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय (SC/ST Act) एवं जिला न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बैतूल (श्रीमती दिव्यांगना जोशी पांडे)	<p>1. विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति/ अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 से संबंधित सभी प्रकरण तथा उक्त अधिनियम से संबंधित जमानत आवेदन।</p> <p>2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित न्यायिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।</p> <p>3. इसी न्यायालय व अधिकरण द्वारा पारित निर्णय आदेश से संबंधित निष्पादन एवं विविध प्रकरण व अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन।</p>
3.	जिला न्यायाधीश एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश तथा प्रथम अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बैतूल (श्रीमती निहारिका सिंह)	<p>1. आरक्षी केन्द्र शाहपुर एवं चिचोली क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत धारा 163 एवं 166 मोटर यान दुर्घटना दावा प्रकरण।</p> <p>2. विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की धारा 3(1) ए,बी के अंतर्गत प्रकरण (अधिसूचना अनुसार)</p> <p>3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित न्यायिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।</p> <p>4. इसी न्यायालय व अधिकरण द्वारा पारित निर्णय आदेश से संबंधित निष्पादन एवं विविध प्रकरण व अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन।</p>
4	जिला न्यायाधीश एवं तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश तथा तृतीय अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बैतूल (श्री आशीष टांकले)	<p>1. चिचोली एवं शाहपुर तहसील क्षेत्र से उद्भूत 1,00,00,001/- रुपये एवं उससे अधिक मूल्यांकन के नियमित व्यवहार वाद।</p> <p>2. आरक्षी केन्द्र बैतूल बाजार एवं बीजादेही क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत धारा 163 एवं 166 मोटरयान दुर्घटना दावा प्रकरण।</p> <p>3. तहसील चिचोली एवं घोड़ाडोंगरी स्थित नगरपालिका/नगरपंचायत से उत्पन्न चुनाव याचिकाएं।</p> <p>4. धारा 264 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रोबेट संबंधी प्रकरण।</p> <p>5. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल की न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त अपर जिला न्यायाधीश बैतूल की न्यायालय से उद्भूत एवं पारित निर्णय/आदेश व क्लेम से संबंधित निष्पादन एवं समस्त विविध कार्यवाही व अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन।</p> <p>6. एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 से उद्भूत प्रकरण (अधिसूचना अनुसार)</p> <p>7. इसी न्यायालय व अधिकरण द्वारा पारित निर्णय आदेश से संबंधित निष्पादन एवं विविध प्रकरण व अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन।</p> <p>8. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित न्यायिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।</p> <p>9. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल की न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त अपर जिला न्यायाधीश बैतूल की न्यायालय से उद्भूत एवं पारित निर्णय/आदेश व क्लेम से संबंधित निष्पादन एवं समस्त विविध कार्यवाही व अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन।</p> <p>10. जिला न्यायाधीश एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बैतूल की</p>

अनु. क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार व प्रकरणों का प्रकार
		न्यायालय के न्यायालय से उद्भूत एवं पारित निर्णय/आदेश व क्लेम से संबंधित निष्पादन एवं समस्त विविध कार्यवाही व अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन।
5.	जिला न्यायाधीश एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बैतूल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बैतूल तथा प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बैतूल के अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बैतूल (श्री हेमंत कुमार यादव)	<ol style="list-style-type: none"> 1. बैतूल एवं घोड़ाडोंगरी तहसील क्षेत्र से उद्भूत 1,00,00,001/— रुपये एवं उससे अधिक मूल्यांकन के नियमित व्यवहार वाद। 2. आरक्षी केन्द्र बैतूल गंज, रानीपुर एवं सारणी क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत धारा 163 एवं 166 मोटरयान दुर्घटना दावा प्रकरण। 3. सिविल जिला बैतूल (मुलताई, आमला, भैंसदेही एवं आठनेरतहसील को छोड़कर) से उत्पन्न 501/— रुपये से 1000/— रुपये तक के लघुवाद प्रकरण। 4. सिविल जिला बैतूल (मुलताई, आमला, भैंसदेही एवं आठनेर तहसील को छोड़कर) के क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न मध्यप्रदेश मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वाद। 5. फास्ट ट्रेक कोर्ट बैतूल की रिक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश व क्लेम से संबंधित निष्पादन एवं समस्त विविध कार्यवाही व अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन। 6. विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत प्रस्तुत विशेष प्रकरण (मुलताई विद्युत क्षेत्र को छोड़कर) जिला बैतूल के एवं भैंसदेही विद्युत क्षेत्र से उद्भूत प्रकरण (अधिसूचना अनुसार) 7. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित न्यायिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां। 8. इसी न्यायालय व अधिकरण द्वारा पारित निर्णय आदेश से संबंधित निष्पादन एवं विविध प्रकरण व अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन। 9. सिविल जिला बैतूल (मुलताई, आमला, भैंसदेही एवं आठनेर तहसील के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) भू-अर्जन अधिनियम 1958 से उद्भूत प्रकरण।
6.	जिला न्यायाधीश एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बैतूल के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश बैतूल तथा विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) बैतूल (श्रीमती ज्ञानेश्वरी कुमारे)	<ol style="list-style-type: none"> 1. जिला मुख्यालय बैतूल पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के साथ अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989) के अधीन पंजीबद्ध अपराधों का भी विचारण। (अधिसूचना अनुसार) 2. आरक्षी केन्द्र कोतवाली बैतूल, सारणी, शाहपुर, जी.आर.पी. आमला, बैतूल बाजार, रानीपुर, चिचोली, बीजादेही, चोपना से उत्पन्न ऐसे अपराधों से संबंधित प्रकरण एवं धारा 438, 439 द.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत जमानत आवेदन एवं रिमाण्ड कार्यवाहियां, जिनमें अपराध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध है। 3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित न्यायिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
8	जिला न्यायाधीश एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मुलताई तथा प्रथम अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मुलताई (श्रीमती संगीता पटेल)	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील मुलताई क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत समस्त प्रकार के हिंदू विवाह अधिनियम के प्रकरण। 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मुलताई के न्यायालय से उद्भूत नियमित एवं विविध व्यवहार अपील। 3. मुलताई तहसील के क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न मध्यप्रदेश मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वाद। 4. मुलताई तहसील क्षेत्रान्तर्गत भू-अर्जन अधिनियम 1958 से उद्भूत प्रकरण। 5. मुलताई नगरपालिका/नगर पंचायत से उत्पन्न चुनाव याचिका। 6. तहसील मुलताई क्षेत्र से उत्पन्न 501/— रुपये से 1000/—

अनु. क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार व प्रकरणों का प्रकार
		<p>रुपये तक के लघुवाद प्रकरण।</p> <p>7. आरक्षी केन्द्र मुलताई क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत धारा 163 एवं 166 मोटर यान दुर्घटना दावा प्रकरण</p> <p>8. मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9,14,34 एवं 36 सहपठित आदेश 21नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रस्तुत होने वाले निष्पादन प्रकरण तहसील मुलताई के स्थानीय क्षेत्राधिकार से उत्पन्न प्रकरण।</p> <p>9. आरक्षी केन्द्र मुलताई से पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत उद्भूत होने वाले समस्त प्रकरण तथा धारा 438, 439 द.प्र.सं. के तहत उद्भूत जमानत याचिकाएं एवं रिमाण्ड कार्यवाहियां।</p> <p>10. मुलताई तहसील से उत्पन्न ऐसे समस्त अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत सिविल प्रकृति के प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में न हो तथा अनन्यतः जिला न्यायाधीश बैतूल की श्रवणाधिकारिता के न हो परंतु इस न्यायालय की श्रवणाधिकारिता के हो।</p> <p>11. तहसील मुलताई से उत्पन्न गार्जियन्स एंड वार्डस एक्ट (संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890के प्रकरण)</p> <p>12. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित न्यायिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।</p> <p>13. इसी न्यायालय व अधिकरण द्वारा पारित निर्णय आदेश से संबंधित निष्पादन एवं विविध प्रकरण व अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन।</p> <p>14. तहसील मुख्यालय मुलताई में पदस्थ श्रीमती नीलम खटाना, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मुलताई एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी के न्यायालयों के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली दांडिक अपील तथा दांडिक पुनरीक्षण याचिकाएं।</p>
9	<p>जिला न्यायाधीश एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मुलताई तथा द्वितीय अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मुलताई (श्री पकंज चतुर्वेदी)</p>	<p>1. तहसील मुलताई क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत 1,00,00,001/-रुपये एवं उससे अधिक मूल्यांकन के नियमित व्यवहार वाद।</p> <p>2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मुलताई, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ मुलताई एवं तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मुलताई एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मुलताई के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश मुलताई के न्यायालय से उद्भूत नियमित एवं विविध व्यवहार अपील।</p> <p>3. आरक्षी केन्द्र साईखेड़ा से उद्भूत धारा 163 एवं 166 मोटर यान दुर्घटना दावा प्रकरण</p> <p>4. आरक्षी केन्द्र साईखेड़ा से पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत उद्भूत होने वाले समस्त प्रकरण तथा धारा 438, 439 द.प्र.सं. के तहत उद्भूत जमानत याचिकाएं एवं रिमाण्ड कार्यवाहियां।</p> <p>5. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित न्यायिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।</p> <p>6. इसी न्यायालय व अधिकरण द्वारा पारित निर्णय आदेश से संबंधित निष्पादन एवं विविध प्रकरण व अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन।</p> <p>7. फास्ट ट्रेक कोर्ट मुलताई की रिक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश व क्लेम से संबंधित निष्पादन एवं समस्त विविध कार्यवाही व अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन।</p> <p>8. जिला न्यायाधीश एवं तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की रिक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश व क्लेम से संबंधित निष्पादन एवं समस्त विविध कार्यवाही व अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन।</p> <p>9. तहसील मुख्यालय मुलताई में पदस्थ श्री दिनेश मीणा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मुलताई एवं श्रीमती श्वेता गौतम, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मुलताई के न्यायालयों के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली दांडिक अपील तथा दांडिक पुनरीक्षण याचिकाएं।</p>

अनु. क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार व प्रकरणों का प्रकार
10	जिला न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश आमला तथा अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, आमला (श्री तपेश कुमार दुबे)	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील आमला क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत 1,00,00,001 /—रुपये एवं उससे अधिक मूल्यांकन के नियमित व्यवहार वाद । 2. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड आमला एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड आमला के न्यायालय से उद्भूत नियमित एवं विविध व्यवहार अपील । 3. आमला तहसील के क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न मध्यप्रदेश मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वाद । 4. तहसील आमला क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत समस्त प्रकार के हिंदू विवाह अधिनियम के प्रकरण । 5. आमला तहसील क्षेत्रान्तर्गत भू-अर्जन अधिनियम 1958 से उद्भूत प्रकरण । 6. आमला नगरपालिका/नगर पंचायत से उत्पन्न चुनाव याचिका । 7. आमला तहसील से उत्पन्न ऐसे समस्त अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत सिविल प्रकृति के प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में न हो तथा अनन्यतः जिला न्यायाधीश बैतूल की श्रवणाधिकारिता के न हो परंतु इस न्यायालय की श्रवणाधिकारिता के हो । 8. तहसील आमला क्षेत्र से उत्पन्न 501 /— रुपये से 1000 /— रुपये तक के लघुवाद प्रकरण । 9. आरक्षी केन्द्र आमला एवं बोरदेही से उद्भूत मृत्यु मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं इन्ज्युरी संबंधित दावा प्रकरण । 10. मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9,14,34 एवं 36 सहपठित आदेश 21 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रस्तुत होने वाले निष्पादन प्रकरण तहसील आमला के स्थानीय क्षेत्राधिकार से उत्पन्न प्रकरण । 11. आरक्षी केन्द्र आमला एवं बोरदेही से पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत उद्भूत होने वाले समस्त प्रकरण तथा धारा 438, 439 द.प्र.सं. के तहत उद्भूत जमानत याचिकाएं एवं रिमाण्ड कार्यवाहियां । 12. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित न्यायिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां । 13. इसी न्यायालय व अधिकरण द्वारा पारित निर्णय आदेश से संबंधित निष्पादन एवं विविध प्रकरण व अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन । 14. तहसील आमला से उत्पन्न गार्जियन्स एंड वार्डस एक्ट (संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के प्रकरण) 15. तहसील मुख्यालय आमला में पदस्थ समस्त न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी व कार्यपालिक दंडाधिकारी के न्यायालयों के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली दांडिक अपील तथा दांडिक पुनरीक्षण याचिकाएं ।
11.	जिला न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश तथा अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण भैंसदेही (श्री राकेश कुमार पाटीदार)	<ol style="list-style-type: none"> 1. भैंसदेही एवं आठनेर तहसील क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत 1,00,00,001 /—रुपये एवं उससे अधिक मूल्यांकन के नियमित व्यवहार वाद । 2. तहसील भैंसदेही एवं आठनेर क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत समस्त प्रकार के हिंदू विवाह अधिनियम के प्रकरण । 3. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भैंसदेही, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भैंसदेही के न्यायालय से उद्भूत नियमित एवं विविध व्यवहार अपील । 4. तहसील भैंसदेही एवं आठनेर स्थित नगरपालिका/ नगर पंचायत से उत्पन्न चुनाव याचिकाएं । 5. भैंसदेही एवं आठनेर तहसील के क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न मध्यप्रदेश मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वाद । 6. भैंसदेही एवं आठनेर क्षेत्रान्तर्गत भू-अर्जन अधिनियम 1958 से उद्भूत प्रकरण ।

अनु. क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार व प्रकरणों का प्रकार
		<p>7. आरक्षी केन्द्र भैसदेही, झल्लार, आठनेर एवं मोहदा से उद्भूत धारा 163 एवं 166 मोटर यान दुर्घटना दावा प्रकरण ।</p> <p>8. तहसील भैसदेही एवं आठनेर से उत्पन्न ऐसे समस्त अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत सिविल प्रकृति के प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में न हो तथा अनन्यतः जिला न्यायाधीश बैतूल की श्रवणाधिकारिता के न हो परंतु इस न्यायालय की श्रवणाधिकारिता के हो ।</p> <p>9. तहसील भैसदेही एवं आठनेर क्षेत्र से उत्पन्न 501/- रुपये से 1000/- रुपये तक के लघुवाद प्रकरण ।</p> <p>10. तहसील भैसदेही, झल्लार, आठनेर एवं मोहदा से पाक्सों अधिनियम, 2012 के अंतर्गत उद्भूत होने वाले समस्त प्रकरण तथा धारा 438 एवं 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत उद्भूत जमानत याचिकाएं एवं रिमाण्ड कार्यवाहियां ।</p> <p>11. मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9,14,34 एवं 36 सहपठित आदेश 21 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रस्तुत होने वाले निष्पादन प्रकरण तहसील भैसदेही एवं आठनेर के स्थानीय क्षेत्राधिकार से उत्पन्न प्रकरण ।</p> <p>12. तहसील भैसदेही व आठनेर से उत्पन्न गार्जियन्स एंड वार्डस एक्ट (संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890के प्रकरण)</p> <p>13. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित न्यायिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां ।</p> <p>14. इसी न्यायालय व अधिकरण द्वारा पारित निर्णय आदेश से संबंधित निष्पादन एवं विविध प्रकरण व अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन ।</p> <p>15. तहसील मुख्यालय भैसदेही में पदस्थ समस्त न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी व कार्यपालिक दंडाधिकारी के न्यायालयों के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली दांडिक अपील तथा दांडिक पुनरीक्षण याचिकाएं ।</p> <p>16. तहसील भैसदेही एवं आठनेर से उत्पन्न ऐसे समस्त अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत दांडिक प्रकृति के प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में न हो तथा अनन्यतः जिला न्यायाधीश बैतूल की श्रवणाधिकारिता के न हो परंतु इस न्यायालय की श्रवणाधिकारिता के हो ।</p>

खण्ड –ब

सिविल न्यायाधीशों के न्यायालयों से संबंधित सुनवाई क्षेत्राधिकार

अनु.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार व प्रकरणों का प्रकार
12	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बैतूल (श्रीमती संगीता भारती राठौर)	<p>1. सिविल जिला बैतूल (मुलताई, भैसदेही,आठनेर एवं आमला तहसील के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) से उत्पन्न होने वाले दिनांक 10.04.2024 से 31.07.2024 तक की अवधि में प्रस्तुत होने वाले राशि रु. 500001/- से 1,00,00,000/-रुपये तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद प्रकरण ।</p> <p>2. तहसील चिचोली, घोड़ाडोंगरी क्षेत्र से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के प्रकरण ।</p> <p>3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक व प्रशासकीय आदेश से अंतरित प्रकरण एवं अन्य कार्य ।</p> <p>4. इस न्यायालय से संबंधित निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां ।</p> <p>5. सम्पूर्ण सिविल जिला बैतूल से उद्भूत अन्य अधिनियम के वे सिविल प्रकरण एवं अपील जिनकी श्रवणाधिकारिता व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड को है तथा जो किसी अन्य को इस कार्य विभाजन पत्रक में न दिये गये हो ।</p>

अनु.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार व प्रकरणों का प्रकार
13	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बैतूल (श्री सुरेश यादव)	<ol style="list-style-type: none"> 1. सिविल जिला बैतूल (मुलताई, भैंसदेही, आठनेर एवं आमला तहसील के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) से उत्पन्न होने वाले दिनांक 01.08.2024 से 31.10.2024 तक की अवधि में प्रस्तुत होने वाले राशि रु. 5,00,001 / - रुपये से 1,00,00,000 / - रुपये तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद प्रकरण। 2. तहसील बैतूल, शाहपुर क्षेत्र से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के प्रकरण। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक व प्रशासकीय आदेश से अंतरित प्रकरण एवं अन्य कार्य। 4. इस न्यायालय से संबंधित निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
14	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बैतूल	<ol style="list-style-type: none"> 1. जनपद पंचायत क्षेत्र बैतूल से संबंधित ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत के प्रकरण। 2. इसी न्यायालय से उत्पन्न निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का क्रियान्वयन।
15	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बैतूल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, बैतूल (श्रीमती पूजा सिंह मोर्य)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक व प्रशासकीय आदेश से अंतरित प्रकरण एवं अन्य कार्य। 2. इस न्यायालय के प्रकरण से संबंधित निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां। 3. रिक्त प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बैतूल के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश बैतूल से संबंधित निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
16	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बैतूल के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, बैतूल (श्रीमती अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी)	<ol style="list-style-type: none"> 1. सिविल जिला बैतूल (मुलताई, भैंसदेही, आठनेर एवं आमला तहसील के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) से उत्पन्न होने वाले दिनांक 01.11.2024 से आगामी आदेश तक की अवधि में प्रस्तुत होने वाले राशि रु. 5,00,001 / - रुपये से 1,00,00,000 / - रुपये तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद प्रकरण। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक व प्रशासकीय आदेश से अंतरित प्रकरण एवं अन्य कार्य। 3. इस न्यायालय के प्रकरण से संबंधित निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
17	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बैतूल के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश, बैतूल (श्री अरुण सिंह अलावा)	<ol style="list-style-type: none"> 1. सिविल जिला बैतूल (मुलताई, भैंसदेही एवं आमला तहसील के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) से उत्पन्न 200 / - रुपये तक के लघुवाद प्रकरण। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक व प्रशासकीय आदेश से अंतरित प्रकरण एवं अन्य कार्य। 3. इस न्यायालय के प्रकरण से संबंधित निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां। 4. रिक्त चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बैतूल के न्यायालय से संबंधित निष्पादन एवं अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन व आनुसांगिक कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाहियां।
18	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बैतूल (श्री शुभम नीमा)	<ol style="list-style-type: none"> 1. सिविल जिला बैतूल (मुलताई, भैंसदेही, आठनेर एवं आमला तहसील के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) से दिनांक 01.08.2024 से आगामी आदेश तक की अवधि में प्रस्तुत होने वाले राशि रु. 1 / - से 5,00,000 / - रुपये तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद प्रकरण। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक व प्रशासकीय आदेश से अंतरित प्रकरण एवं अन्य कार्य।

अनु.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार व प्रकरणों का प्रकार
		3. इस न्यायालय के प्रकरण से संबंधित निष्पादन/ विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
19	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बैतूल (सुश्री रितु प्रजापति)	1. सिविल जिला बैतूल (मुलताई, भैंसदेही, आठनेर एवं आमला तहसील के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) से दिनांक 10.04.2024 से 31.07.2024 तक की अवधि में प्रस्तुत होने वाले राशि रु. 1/- से 5,00,000/- रुपये तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद प्रकरण। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक व प्रशासकीय आदेश से अंतरित प्रकरण एवं अन्य कार्य। 3. इस न्यायालय के प्रकरण से संबंधित निष्पादन/ विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
20	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मुलताई (श्री दिनेश मीणा)	1. तहसील मुलताई क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले 5,00,001/- रुपये से 1,00,00,000/- रुपये तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद प्रकरण। 2. मुलताई तहसील से उत्पन्न राशि रुपये 201/- से 500/- रुपये तक के लघुवाद प्रकरण। 3. तहसील मुलताई क्षेत्र से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के प्रकरण। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक व प्रशासकीय आदेश से अंतरित प्रकरण एवं अन्य कार्य। 5. इस न्यायालय के प्रकरण से संबंधित निष्पादन/ विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
21	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय मुलताई	1. जनपद पंचायत क्षेत्र मुलताई से संबंधित ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत के प्रकरण। 2. इसी न्यायालय से उत्पन्न निष्पादन, विविध प्रकरण/ अपीलीय आदेशों का क्रियान्वयन।
22	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, मुलताई के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश मुलताई (सुश्री नीलम खटाना)	1. मुलताई तहसील क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले दिनांक 10.04.2024 से 31.08.2024 तक की अवधि में प्रस्तुत होने वाले राशि रु. 1/- से 5,00,000/- रुपये तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद प्रकरण। 2. मुलताई तहसील क्षेत्र से उत्पन्न 200/- रुपये तक के लघुवाद प्रकरण। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक व प्रशासकीय आदेश से अंतरित प्रकरण एवं अन्य कार्य। 4. इस न्यायालय से संबंधित निष्पादन/ विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां। 5. रिक्त द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मुलताई के न्यायालय से संबंधित निष्पादन एवं अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन व आनुसांगिक कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाहियां।
23	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, मुलताई (श्रीमती श्वेता गौतम)	1. मुलताई तहसील क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले दिनांक 01.09.2024 से आगामी आदेश तक की अवधि में प्रस्तुत होने वाले राशि रु. 1/- से 5,00,000/- रुपये तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद प्रकरण। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक व प्रशासकीय आदेश से अंतरित प्रकरण एवं अन्य कार्य। 3. इस न्यायालय से संबंधित निष्पादन/ विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।

अनु.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार व प्रकरणों का प्रकार
24	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ,आमला (श्री राकेश सनोडिया)	<ol style="list-style-type: none"> 1. आमला तहसील क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले राशि 5,00,001/- (पांच लाख एक) रुपये से 1,00,00,000/- (एक करोड़) तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद प्रकरण। 2. तहसील आमला क्षेत्र से उत्पन्न 201 रुपये से 500/-रुपये तक के लघुवाद प्रकरण। 3. तहसील आमला क्षेत्र से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के प्रकरण। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक व प्रशासकीय आदेश से अंतरित प्रकरण एवं अन्य कार्य। 5. इस न्यायालय से संबंधित निष्पादन/ विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
25	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड आमला (श्री राहुल निरंकारी)	<ol style="list-style-type: none"> 1. आमला तहसील क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले राशि 01/- (एक) रुपये से 5,00,000/- (पांच लाख) रुपये तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद प्रकरण। 2. तहसील आमला क्षेत्र से उत्पन्न 200/-रुपये तक के लघुवाद प्रकरण। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक व प्रशासकीय आदेश से अंतरित प्रकरण एवं अन्य कार्य। 4. इस न्यायालय से संबंधित निष्पादन/ विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां। 5. रिक्त अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड आमला की न्यायालय से उत्पन्न निष्पादन/विविध आदेश/अपीलीय आदेशों का क्रियान्वयन।
26	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, भैंसदेही (सुश्री उषा उइके)	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील भैंसदेही एवं आठनेर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले 1/-रुपये से 1,00,00,000/- रुपये तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद प्रकरण। 2. भैंसदेही एवं आठनेर तहसील से उत्पन्न राशि रुपये 1/- से 500/-रुपये तक के लघुवाद प्रकरण। 3. तहसील भैंसदेही एवं आठनेर क्षेत्र से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के प्रकरण 4. इस न्यायालय के प्रकरण से संबंधित निष्पादन/ विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक व प्रशासकीय आदेश से अंतरित प्रकरण एवं अन्य कार्य। 6. रिक्त अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भैंसदेही एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भैंसदेही के न्यायालय से संबंधित निष्पादन /विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।

1	2	3	4	5
24	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भैंसदेही	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बैतूल	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बैतूल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बैतूल के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, बैतूल
25	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड आमला	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मुलताई	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बैतूल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बैतूल
26	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, आमला	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आमला	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, मुलताई के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश मुलताई	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मुलताई

नोट :-

- 1 सत्र न्यायाधीश, बैतूल के अवकाश पर होने पर ऐसे आवेदकों के प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्र स्वमेव उसी न्यायालय में अंतरित होना माने जावेंगे जो कि पूर्व में उसी न्यायालय द्वारा सुने व निराकृत किये गये हो एवं जिस अपराध क्रमांक के जमानत आवेदन जिस अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा सुने गये है उसी अपराध क्रमांक के सह आरोपी के जमानत आवेदन उसी अपर सत्र न्यायाधीश को स्वमेव अंतरित माने जावेगे।
- 2 मुलताई स्थित दोनो अपर सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर या अन्यथा अनुपस्थित रहने के दौरान उक्त न्यायालय के सत्र एवं अन्य आपराधिक प्रकरणों के साधारण प्रकृति के कार्य (गुण दोष के आधार पर निराकरण को छोड़कर जैसे रिमांड, वारंट एवं आदेश पत्रिकाओं पर हस्ताक्षर) औपचारिक कार्य हेतु मुलताई स्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा उनकी अनुपस्थिति में उसी क्रम में वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत होंगे।
- 3 मुख्यालय बैतूल स्थित रिक्त एवं रिक्त होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड की न्यायालय के व्यवहार प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन व आनुसांगिक कार्यवाही प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बैतूल द्वारा सम्पन्न की जावेगी।
- 4 मुख्यालय बैतूल में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड की रिक्त न्यायालयों तथा भविष्य में रिक्त होने वाले व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालयों (जिनका कार्यविभाजन पत्रक में उल्लेख नहीं है) के व्यवहार प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन व आनुसांगिक कार्यवाही प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बैतूल के द्वारा सम्पन्न की जावेगी।
- 5 मुलताई स्थित रिक्त अथवा रिक्त होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालयों के व्यवहार प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन व आनुसांगिक कार्यवाही प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मुलताई द्वारा संपन्न की जावेगी।
- 6 मुलताई स्थित रिक्त अथवा रिक्त होने वाले व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालयों के व्यवहार प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन व आनुसांगिक कार्यवाही तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मुलताई द्वारा संपन्न की जावेगी।
- 7 जिला मुख्यालय पर सत्र न्यायाधीश व अन्य सभी विशेष तथा अपर सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा उपस्थित न रहने पर समस्त प्रकार का औपचारिक एवं उक्त न्यायालय के सत्र एवं अन्य आपराधिक प्रकरणों के साधारण प्रकृति के कार्य (गुण दोष के आधार पर निराकरण को छोड़कर जैसे रिमांड, वारंट एवं आदेश पत्रिकाओं पर हस्ताक्षर) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल संपादित करेंगे तथा उनकी अनुपस्थिति में उसी क्रम में वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत होंगे।
- 8 जिला रजिस्ट्रार बैतूल के अवकाश पर रहने अथवा अनुपस्थित रहने पर तथा पद रिक्त होने पर जिला रजिस्ट्रार बैतूल का समस्त कार्य प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बैतूल के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश बैतूल तथा इन दोनो की अनुपस्थिति में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी द्वारा संपादित किया जावेगा।

- 9 तहसील आमला में स्थित रिक्त एवं रिक्त होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड की न्यायालय के व्यवहार प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं अपीलिय आदेश का क्रियान्वयन व आनुसांगिक कार्यवाही प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मुलताई द्वारा सम्पन्न की जावेगी।
- 10 भैंसदेही स्थित अपर सत्र न्यायाधीश के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर या अन्यथा अनुपस्थित रहने के दौरान उक्त न्यायालय के सत्र एवं अन्य आपराधिक प्रकरणों के साधारण प्रकृति के कार्य (गुण दोष के आधार पर निराकरण को छोड़कर जैसे रिमांड, वारंट एवं आदेश पत्रिकाओं पर हस्ताक्षर) ऑपचारिक कार्य हेतु भैंसदेही स्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा उनकी अनुपस्थिति में उसी क्रम में वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत होंगे।
- 11 आमला स्थित अपर सत्र न्यायाधीश के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर या अन्यथा अनुपस्थित रहने के दौरान एक न्यायालय के सत्र एवं अन्य आपराधिक प्रकरणों के साधारण प्रकृति के कार्य (गुण दोष के आधार पर निराकरण को छोड़कर जैसे रिमांड, वारंट एवं आदेश पत्रिकाओं पर हस्ताक्षर) ऑपचारिक कार्य हेतु आमला स्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा उनकी अनुपस्थिति में उसी क्रम में वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत होंगे।

(प्राणेश कुमार प्राण)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक / 547 / एक-11-1 / 2009

बैतूल दिनांक 08 / 04 / 2024

प्रतिलिपि :-

- श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
 - प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त अपर जिला न्यायाधीश बैतूल एवं विशेष न्यायाधीश (SCST Act) बैतूल
 - जिला न्यायाधीश एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बैतूल
 - जिला न्यायाधीश एवं तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश बैतूल
 - प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बैतूल
 - प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश बैतूल
 - जिला न्यायाधीश एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मुलताई
 - जिला न्यायाधीश एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मुलताई
 - जिला न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश भैंसदेही
 - जिला न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश आमला
 - प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बैतूल
 - व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बैतूल / मुलताई / भैंसदेही / आमला (श्री सुरेश यादव, श्रीमती पूजा सिंह मोर्य, श्रीमती अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी, श्री अरुण सिंह अलावा, श्री दिनेश मीणा, सुश्री उषा उइके श्री राकेश सनोडिया)
 - व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बैतूल / मुलताई / आमला (श्री शुभम नीमा, सुश्री रितु प्रजापति, श्रीमती नीलम खटाना, श्रीमती श्वेता गौतम / श्री राहुल निरंकारी)
 - अध्यक्ष अधिवक्ता संघ बैतूल / मुलताई / भैंसदेही / आमला।
 - प्रस्तुतकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल।
 - पुलिस अधीक्षक, बैतूल / कलेक्टर बैतूल
 - निज सहायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल।
- की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
18. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग बैतूल की ओर उक्त विविध आदेश को सर्वसंबंधित को ई-मेल के माध्यम से अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)